न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 189/2011 (बांसवाड़ा डिक्री)

देवचन्द पिता श्री लसा, जाति भील, निवासी सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कपरा पिता श्री नाथू, जाति भील, निवासी सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 03.11.2010 प्र.सं. 76/2006

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एम. के. गांधी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक 09–11–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नंबर 84 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम सेरावाला में स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त साबिक आराजी नंबर 84 के हाल आराजी नंबर 26, 30 व 31 बने हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भू–प्रबन्ध के दौरान अवैध व

अनाधिकृत रूप से हाल सर्वे नंबर 31 रकबा 0.10 एयर भूमि वादी के नाम तथा सर्वे नंबर 26 व 30 रकबा क्रमशः 1.50 हैक्टर एवं 0.51 हैक्टर की प्रविष्टि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा ली, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को नहीं सुना गया तथा इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अभी 1 माह पूर्व झगड़ा किया तथा धमकी तब वादी को उक्त अवैध व अनाधिकृत इन्द्राज की जानकारी हुई। अतएवं वादग्रस्त साबिक आराजी नंबर 84 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है के अनुसार बने हाल सर्वे नंबर 26, 30 व 31 के 1/2 हिस्से का वादी को पुनः खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया कि वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी ने अपना नाम अवैध तरीके से जुड़वा लिया था, जिसे वादी ने अपनी सहमति से सन् 1984 में हटवा लिया, किन्तु सहवन से वादी की मिली भगत से 10 एयर भूमि सर्व नंबर 31 में वादी के नाम रह गयी, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी का सर्वे नंबर 84 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, जिसमें वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी ने उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अवैध तरीके से राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर दर्ज करवाया था, जिसे उसके द्वारा सहमति से भू–प्रबन्ध अधिकारियों के समक्ष हटावा लिया, किन्तु सहवन से आराजी नंबर 31 रकबा 0.10 एयर भूमि वादी ने भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलकर अपने नाम रहने दिया, जिससे हटाया जाना आवश्यक है। अतएवं हाल आराजी नंबर 31 से वादी की प्रविष्टि हटायी जावे एवं साबिक आराजी नंबर 84 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के बने हाल आराजी नंबर 26, 30 व 31 तीनों भूमियों का प्रतिवादी को खातेदार घोषित घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम का जवाब वादी द्वारा खण्डन का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. क्या वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी का खेत सर्वे नंबर 84 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा खाता संख्या 10/10 स्थित

ग्राम सेरावाला पटवार हल्का टामटिया तहसील बागीदौरा में होकर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर मौके पर हिस्सा कर खेती करते आ रहे हैं ? ..... वादी

2. क्या प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों व भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से मिलकर वादी को सुने बिना प्रश्नगत सर्वे नंबरान के नये नंबर सर्वे नंबर 31 रकबा 0.10 एयर वादी के नाम तथा प्रतिवादी के नाम सर्वे नंबर 26 रकबा 1.50, सर्वे नंबर 30 रकबा 0.51 वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2060 में प्रविष्टि करा ली है, जो निरस्त योग्य है ? ..... वादी

3. क्या वादी ने 22 वर्ष पूर्व भू–प्रबन्ध अधिकारियों के समक्ष सहमति देकर आराजी नंबर 84 से अपना नाम हटवाया था, क्योंकि उसक पर वादी का कोई अधिकार व हक नहीं था ? ..... प्रतिवादी

4. दादरसी ?

प्रकरण में दिनांक 10–10–2007 को वादी की शहादत बन्द की गयी तथा पत्रावली वास्ते प्रतिवादी शहादत तय की गयी। शहादत प्रतिवादी में प्रकरण दिनांक 24–10–2007 से दिनांक 18–06–2008 तक 11 पेशियों तक चलता रहा। दिनांक 02–07–2008 को प्रतिवादी को 200/– कोस्ट पर मौका दिया गया। पुनः दिनांक 27–08–2008 को 400/– कोस्ट पर मौका दिया गया तथा इसके बाद दिनांक 18–02–2008 को 500/– कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 20–05–2009 को प्रतिवादी अनुपस्थित रहे तथा उसके वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03–11–2010 से प्रकरण में वादी की साक्ष्य का अवलोकन करते हुए साबिक आराजी नंबर 84 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के वर्तमान नंबर 23, 30 व 31 किता 3 रकबा 2.11 हैक्टर वादग्रस्त भूमि में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार व अधिकारिता के किये गये गलत बंटवाड़े के त्रुटि पूर्ण इन्द्राज को निरस्त करते हुए वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–09–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 20–05–2009 को प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर दिया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। अपीलान्ट ग्रामीण, अनपढ़, अशिक्षित एवं बीमार होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। दिनांक 01–08–2011 को रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट के साथ झगड़ा किया तथा धमकी दी, तब उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट को दिनांक 10–10–2007 से लेकर दिनांक 20–05–2009 तक अर्थात करीब 20 माह तक शहादत के कई अवसर दिये गये, परन्तु उसके साक्ष्य उपस्थित नहीं हुए। इस दौरान कई बार कोस्ट पर भी मौके दिये गये, परन्तु उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से उसकी शहादत बन्द की गयी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया है जो पूरी तरह से स्पष्ट है, किन्तु इस अवधि में अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया गया अथवा उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी, इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। आश्चर्य जनक रूप से दिनांक 20–05–2009 को अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–11–2010 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा अपने प्रकरण के प्रतिरक्षण एवं काउण्टर क्लेम को सिद्ध करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं इतने लम्बे समय तक अपनी अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करना तथा सारा दोष अधिवक्ता पर मढ़ देने से अपीलान्ट/प्रतिवादी अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है, क्योंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा स्वयं को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित करना बताया है तथा अधिनस्थ न्यायालय में खसरा परिशोधन पत्र के आधार पर भूमि उसके नाम होने का कथन किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा अपना काउण्टर क्लेम सिद्ध किये जाने के लिए उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। पेश शुदा जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 से यह सुस्पष्ट है कि विवादित साबिक आराजी नंबर 84 में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट का 1/2, 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं। वर्तमान आराजी नंबर 26, 30 व 31 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 84 से बनना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा खसरा परिशोधन पत्र में भी यह भूमि 1/2, 1/2 हिस्से से अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के सहखातेदारी में दर्ज है तथा भू–प्रबन्ध द्वारा जो विभाजन किया गया है उसकी अधिकारिता हुए बिना विभाजन अत्यन्त पक्षपात पूर्ण किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग इस प्रकार विधि विरूद्ध पक्षपात पूर्ण विभाजन करने को सक्षम नहीं है। अतएवं गुणावगुण आधार पर भी अपीलान्ट की अपील एवं उसका काउण्टर क्लेम पोषणीय नहीं होना पूरी तरह से स्पष्ट है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–11–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

देवचन्द पिता लसा, जाति भील, नि0 सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा बनाम **कपरा पिता नाथु, जाति भील, नि0 सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**189 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बागीदौरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**11**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री महेन्द्र कुमार गांधी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–11–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।